© 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 8 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099

ब्रिटिश काल में पंचायती राज का अवलोकन

रमेश चन्द्र यादव
(पी.एच.डी, शोधछात्र)
एशियन एंड सेन्ट्रल एशियन स्टडीज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली

अंग्रेजी शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य आर्थिक शोषण था, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और स्थानीय स्तर पर शोषण को मजबूत करने वाली संस्थाओं का गठन किया गया, जिसका परिणाम कर्जन की केंद्रीकरण की नीति को मजबूती मिली और पंचायती राज पर सरकारी बचत स्थापित हुआ. डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अंग्रेजी विदेशी शासकों ने पंचायतों की इस प्राचीन परंपरा को ख़राब करके देश के प्रति सर्वाधिक घातक उपयोग किया है.

1687 में पहली बार स्थानीय स्तर पर बदलाव किया गया और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मजबूत स्थानीय संस्थाओं के आधार पर मद्रास में एक नगर निगम की स्थापना की गई जिसमें एक अध्यक्ष एक नगर वृत्त तथा एक नगर प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे वह सार्वजनिक मामलों या कल्याण के लिए कर लगाने का अधिकार दिया गया परंतु इस नगर निगम की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि जो सार्वजनिक कल्याण के मामले मे कर को लोग अपने ऊपर लगने वाले कर को स्वेच्छा से दे सकते हैं परंतु इसका काफी विरोध हुआ,

1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का और इस के अधिकार में कमी की गई गांव में लगान वसूल का अधिकार स्थानीय स्तर पर जमीदार को दे दिया गया जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायत पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ा दीवानी दंड अदालतों का गठन किया गया जिसे

स्थानीय विषयों से संबंधित मामले जाते थे जिस जिस कारण ग्राम पंचायतों के कार्य और शक्तियां कम होते चले गए, 1793 चार्टर द्वारा मद्रास मुंबई कोलकाता तीन महा प्रांतीय नगरों नगर प्रशासन की स्थापना किया गया और गवर्नर जनरल को एक शांति दंडाधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, जिसमें उन्हें सफाई पुलिस और सड़कों के रखरखाव तथा भवनों पर घ भूमि पर कर लगा सकता था, आगे चलकर 1842 बंगाल अधिनियम पारित किया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर नगर के दो बटे तीन मकान मालिक नगर की सफाई की मांग करें तो नगर समिति की स्थापना किया जा सकता है किस प्रकार की मांग नहीं किया 1850 जनता पर अप्रत्यक्ष कर लागू किया गया जिसका जगह-जगह विरोध किया गया इससे पंचायतों की भूमिका नाम मात्र थी|

परंतु जनता के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1863 में राजकीय सैनिक स्वास्थ्य आयोग ने सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर चिंता प्रकट कर नगर प्रशासन का विस्तार किया और प्रांतीय सरकारों को सफाई प्रकाश और पानी की व्यवस्था के लिए नगर समितियां गठित करने का अधिकार दिया, 1870 में न्यू नया स्थानीय शासन के विकास के लिए प्रस्ताव पारित किया जिसमें पंचायत का विकास इंग्लिश पर संस्थानों को मजबूत बनाने तथा भारती और यूरोपीय लोगों को प्रशासन के मामले में केंद्र से लेकर प्रांतीय सरकारों को दिया गया तथा शक्ति का विस्तार पंचायत उत्तर कर के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया, आगे चलकर विपन 1882 में शासनकाल में पंचायतों को स्वशासी बनाने के लिए प्रस्ताव पास कर राज्य के नियंत्रण को कम किया जिससे स्थानीय शासन पर आज का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ साथ ही ज्यादा सदस्य एवं अध्यक्ष गैर सरकारी थे वित्तीय साधन राजेश के साधन तथा प्रांतीय बजट से अनुदान मिलता है साथी यह सिला दिया गया की सरकारों के जो कर्मचारी स्थानीय शासन के लिए भेजे जाएं उन्हें स्थानीय सरकार का नौकर समझा जाए उसके नियंत्रण में रहे 1882 के प्रस्ताव की व्याख्या प्रांतों में मौजूद स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं तय करें,

द्वारा पारित प्रस्ताव स्थानीय शासन के मार्ग को प्रशस्त किया जो कालांतर में दिशानिर्देश था वह स्थानीय स्तर पर मील का पत्थर साबित हुआ इसी कारण स्थानीय शासन का जनक भी कहा गया परंतु स्थानीय शासन की दिशा में कुछ खास नहीं कर सका क्योंकि प्रांतों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया था जिस कारण इसमें अपने अनुसार प्रांतों में व्याख्या किया दूसरा कारण के

बाद के गवर्नर जनरल जो राजनीतिक शिक्षा को प्रशासनिक कुशलता की तुलना में महत्व देने को तैयार नहीं थी, कांग्रेस की स्थापना के बाद नौरोजी सुरेंद्रनाथ बनर्जी लाला लाजपत राय तिलक बिपिन चंद्र पाल पंचायत को आत्मनिर्भर और ग्रामीण व्यवस्था की मांग की है जिस कारण 1990 स्थानीय शासन को दिखा दिया गया जो नई सातवें वेतन आयोग के सुझाव पर था जिसके अनुसार गांव को शासन की मूल इकाई माना जाए और हर गांव में पंचायत हो, जिस के कुछ सुझाव निम्नलिखित थी- प्रांतों में नगरपालिका का निर्माण हो

2 स्थानीय संस्थाओं के सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित हूं

3- संस्थाओं का अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण हो

4 संस्थाओं पर भारी नियंत्रण से परामर्श एवं सुझाव और लेखा परीक्षण तक सीमित होना चाहिए

5- कर निर्धारण नगरपालिकाओं को दिया जाए तथा कुछ न्यूनतम धनराशि को संरक्षित करके अपना बजट बना सकें परंतु नगर पालिका संपत को पट्टे पर देने अथवा क्रय विक्रय की सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक हो

इसके बाद भी ग्रामीण विकास को बार-बार हतोत्साहित किया क्योंकि केंद्रीय प्रशासन में किसी भी स्वरूप निकाह या संस्था भारतीय हस्तक्षेप की नहीं थी क्योंकि इसका एक मात्र उद्देश्य शोषण था क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के समय ग्रामीण विकास के लिए मांग जोरों पर थी और कांग्रेस ने अपने 25 में अधिवेशन 1910 इलाहाबाद के दौरान सरकार से ग्राम पंचायतों की स्थापना की मांग रखी थी

इसके बाद कई अधिवेशनों में ग्रामीण विकास से संबंधित मांगे रखी गई अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं के दबाव में आकर ग्राम पंचायतों से संबंधित समय-समय पर कई,

1- बंगाल स्थानीय सरकार अधिनियम 1919

2- मद्रास स्थानीय सरकार अधिनियम 1920

3- मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 4 1920

4- उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट 1920

5 बिहार सरकार अधिनियम 1920

6- सीपी पंचायत अधिनियम 1920

7- पंचायत अधिनियम 1922

8- असम शासन अधिनियम 1925

9 मैसूर ग्रामपंचायत अधिनियम 1928

इसके बावजूद बोस नवरोजी गांधी ने पंचायतों के गठन के लिए ग्राम पंचायत के विकास के लिए आंदोलन चलाए टैगोर ने 1920 में शांतिनिकेतन में ग्रामीण सुधार और विकास एवं बाल शिक्षा का कार्यक्रम चलाया था गांधी ने 1932 में सेवाग्राम में ग्रामीण स्वावलंबन के लिए योजनाएं चलाई, उधर राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता जा रहा था जिसे सरकार जनता को खुश करने के लिए कुछ घोषणाएं की जिसे सरकार का उद्देश्य था कि भारतीयों को प्रशासन की शाखा से जोड़ा जाना और स्थानीय संस्थाओं को धीरे-धीरे विकसित, जिससे उत्तरदाई शासन की स्थापना हो सके जिससे एक नई आशा का संचार हुआ और 1920 में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में स्थानीय स्वशासन और जन विकास से संबंधित कुछ कर दिए गए जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदाई थी, मताधिकार को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया गया स्थानीय संस्थाओं को बजट के लिए निर्माण में छोड़ दिया गया नेहरू पटेल टंडन जैसे लोगों को नगर पालिकाओं में प्रवेश दिया गया 1919 का अधिनियम स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नई दिशा का सूत्रपात किया,

1920 में मद्रास में पंचायती राज कानून बना दिया इसे पंचायतों को अधिकार दिया गया 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें 5 सूत्री योजना प्रस्तुत किया गया यहां पर पंचायतों को स्थानीय शासन के पुनर्निर्माण का आधार बनाया गया लेकिन 1930 में पंचायतों के अधिकारों में कमी हो गई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, शासन लागू होने के बाद स्थानीय शासन का रूप बदला स्थानीय शासन को स्वास्थ्य के क्षेत्र में था परंतु पूरे देश में स्थानीय शासन का अभिन्न अंग बना यह अधिकरण स्थानीय शासन पर कोई बल नहीं दिया परंतु प्रांतों में संस्थाओं से संचालित विषयों की जांच प्रारंभ कर दी, जिसे स्थानीय मामलों के प्रबंध का साधन बन सके 1941 में पंचायतों के लिए अलग से कानून बनाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण स्थानीय शासन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका,

यदि पंचायती राज प्राचीन भारत की देन है तो वर्तमान कार्य प्रणाली और संगठित रूप ब्रिटिश व्यवस्था का परिणाम है आजादी के बाद पंचायती प्रणाली ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारंभ किए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जारी प्रणाली की स्थापना एक वास्तविक और सकारात्मक प्रयास था जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं एक विकल्प तैयार किए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जिसके परिणाम स्वरुप पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में हुई जिससे विधानमंडलों में पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया और इसके लिए नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत कर ग्रामीण विकास की आधारशिला की स्थापना की अगले कदम के रूप में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई प्रणाली प्रणाली थी इसके बाद हम मद्रास कर्नाटक महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल का सूत्रपात हुआ.

साथ ही ग्रामीण विकास की दिशा और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पंचायती राज प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया जिससे विकास की दिशा में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको और प्रभावी किया जाए. इस समिति ने 1957 में नवंबर में अपनी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें कहा गया कि प्रांत से निचले स्तर पर अधिकारों और दायित्वों का विकेंद्रीकरण किया जाए जिसकी आवश्यकता अत्यंत जरूरी है साथ ही रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रांतों से निचले स्तर पर सत्ता एक ऐसी सत्ता को दिया जाए जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास के कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदाई हो और सरकारों का कार्य सिर्फ मार्गदर्शन हो. सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर इस संस्थाओं का नाम पंचायती राज किया जिसका अधिकांश स्वरूप बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर आधारित है इस समिति के बाद सरकार ने यथासंभव कई समितियों का गठन किया जो पंचायती राज की प्रगति में कार्यरत रहे इसमें अशोक मेहता और राव समिति प्रमुख रही 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में जो पंचायती राज को पतनोन्मुख को मजबूत करने एवं पुनर्जीवित हेतु 132 सिफारिशों किए जिसमें कुछ प्रमुख थी

1-त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए जिला परिषद स्तर पर और उसके नीचे मंडल पंचायत में 15000 से 20000 जनसंख्या वाले गांव हूं.

2- राज्य स्तर से नीचे लोग निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रथम बिंदु होना चाहिए.

3- जिला परिषद कार्यकारी निकाय हो और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए.

4- पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो.

5- अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो.

6- राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए.

7- न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग किया जाए.

8- राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाएं.

9- पंचायती मामलों के लिए राज्य मंत्रिपरिषद एक मंत्री के नियुक्त होने चाहिए.

10- जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित हो.

परम समिति का कार्यकाल से पहले सरकार का भंग होने से इसकी सिफारिश कार्यवाही नहीं की जा सकी परंतु 3 राज्यों कर्नाटक पश्चिमी बंगाल आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति पंचायती राज विकास के लिए कुछ कदम उठाएं. इसके बाद ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग ने 1985 में GB राव समिति का गठन किया. इस समिति ने इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तर शाही युक्त होकर पंचायतीराज को प्रभावित किया. लोकतांत्रिकरण के विपरीत नौकरशाही ने पंचायती राज के विकास प्रशासन को कमजोर किया जिसके परिणाम स्वरुप यह बिना जड़ के घास के बराबर हो गई. फिर भी इसकी समिति कुछ शिफारसी निम्न है: 1- जिला स्तर को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए नियोजन और विकास की उचित इकाई जिला है तथा परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए.

2- जिला और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों के नियोजन क्रियान्वन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए.

3- एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए.

4- पंचायती राज प्रणाली संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए.

परंतु इस समिति की सिफारिशें भी क्रियान्वित नहीं की जा सकी आगे चलकर पंचायती राज संबंधी यम यल सिंह विश्नोई गठित की गई जो लोकतंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी. यह किसी पार से महत्वपूर्ण रही:

1- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप देना आवश्यक है.

2- गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए

3- गांव में पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए.

4- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उनके विघटन और कार्यों से संबंधित विवाद के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना हो.

इन सिफारिशों के लागू होने के बाद आगे चलकर 1989 में पी के थुंगन समिति गठित की गई जिसमें अनेक सुझाव दिए साथ ही पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए इसे संवैधानिक मान्यता दिया जाए. इसी क्रम में 1986 में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 64 वां संविधान संशोधन किया गया परंतु जो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका. क्योंकि विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इसके द्वारा संघीय सरकार को मजबूत बनाने का प्रावधान है परंतु नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिक कारण पर विचार किया गया. इसके बाद कुछ प्रावधानों को निकाल कर 1991 में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया.

किस अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया इसे पंचायती नाम से संबोधित किया गया और संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 प्रावधान किए गए, इस अधिनियम में एक नई अनुसूची 11 में जोड़ी गई तथा पंचायतों में 29 कार्यकारी विषय रखे गए.

किस अधिनियम ने संविधान के 40 में अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया जिसमें ग्राम पंचायतों को गठित करने में राज्य कदम उठाए और उन्हें शक्तियां और अधिकारों से मजबूत करें और सुशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो अनुच्छेद राजनीतिक सिद्धांतों का हिस्सा है. क्योंकि पंचायती संस्थाओं को एक संवैधानिक रूप दिया और संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया जिससे राज्य सरकारी पंचायती राज पद्धति अपनाने में बाद हुए. इससे देश में तृणमूल स्तर पर लोकतांत्रिक

संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदला जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने का एक नई संकल्पना है. पंचायतों से संबंधित राज्यों के कानून प्रभावी रूप से अधिनियम के आरंभ के 1 वर्ष की अवधि खत्म होने तक लागू रहेगी दूसरे शब्दों में कोई राज्य नए पंचायती राज कार्यक्रम को 24 अप्रैल 1993 के बाद अधिनियम 1 वर्ष की अवधि के अंदर अपनाए जोकि अधिनियम की शुरुआत की तारीख है. इसकी कुछ विशेषताएं निम्न.

ग्राम सभा- यह अधिनियम राज में ग्राम सभा का प्रधान करता है इसमें गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्त होते हैं जो कि पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की ग्राम स्तरीय सभा है यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जो विधान मंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं

त्रिस्तरीय प्रणाली- इसमें सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है अर्थात ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर पूरे देश में पंचायत राज की संरचना में समानता लाता है किसी भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख के ऊपर ना हो उसे ब्लॉक स्तर पर पंचायत गठन करने से छूट है. **अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव**- गांव ब्लॉक जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा. इसमें ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्ही में से अप्रत्यक्ष रुप से होगा जबकि गांव स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से होगा.

सीटों का आरक्षण- इसमें प्रत्येक पंचायत में SC ST को उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा. तथा राज्य विधानमंडल गांव तथा अन्य अस्तर पर पंचायतों में SC ST के लिए अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण देगा. साथ ही यह व्यवस्था है कि आरक्षण के मामले में महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या में SC ST की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है. एक तिहाई से कम ना हो इसके अलावा पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण एक बटे तीन से कम नहीं होगा.

कार्यकाल- पंचायतों में सभी अस्त्रों पर कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है परंतु समय से पूर्व व्यतीत किया जा सकता है इसके बाद पंचायत के लिए नए चुनाव होंगे इसकी अवधि 5 वर्ष की अवध खत्म होने से पूर्व या विघटित होने की दशा में व्यतीत होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की समय के अंदर हो.

राज निर्वाचन आयोग- पंचायतों के सभी स्तरों पर चुनाव संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास है परंतु चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल की कोई भी उपबंध बना सकता है ,

शक्तियां एवं कार्य- पंचायतों की आवश्यकता के अनुसार राज्य विधानमंडल ऐसी शक्तियां एवं अधिकार दे सकता है जिससे पंचायतें स्वशासन के रूप में कार्य करने में सक्षम हूं. जिसमें

1- सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रम को तैयार करने.

2- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के सूत्र शामिल है

वित्त- पंचायतों को कार्य चुंगी शुल्क लगाने और उसे संग्रहण के लिए प्रावधान कर सकता है

2- राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता देने का उपबंध

3- निधियों के गठन का उपबंध करेगा जिसमें पंचायतों को दिया गया सारा धन जमा होगावित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 वर्ष के बाद राज्यपाल 1 वित्त आयोग का गठन करेगा जो राज्यपाल की सिफारिश करेगा.

1- करो चुन्नी मार्ग कर शुल्कों का राज्य पंचायतों के मध्य बंटवारा

2- करो चुम्मी मार्ग कर शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौपे गए

3- संजीवनी से पंचायतों को दी जानी अनुदान राशि

4 पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम.

विधान मंडल आयोग की संरचना और सदस्यों की आवश्यकता तथा उससे चुनाव के तरीके का निर्धारण करता है राज्यपाल आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को राज्य विधानमंडल में रखेगा केंद्रीय वित्त आयोग की पंचायतों के पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य संचित निधि के बारे में सलाह देता है साथी विधानमंडल पंचायतों के खातों की देखरेख और उसके परीक्षण के लिए भी प्रावधान कर सकता है.

परंतु नई में गठित पंचायतों का स्वरूप राजनीतिकरण हो जाता है क्योंकि इसके गठन में होने वाली प्रक्रिया में राजनीतिकरण देखा जा सकता है चुनाव के समय धनबल बाहुबल और क्षेत्रवाद देखा जाता है इस प्रकार से गठित पंचायतों की कार्य शैली इन प्रभावों से अपने आप को छुट्टी नहीं रहती है. जिस कारण बृहद

ग्रामीण समुदाय इस व्यवस्था को भी राजनीतिक व्यवस्था ही समझता है और इसमें अलगाव अनुभव करता है.

त्रिस्तरीय व्यवस्था भी आज ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आज अक्षम रहा है. इसका प्रमुख उद्देश्य मानव पर बल देकर परस्पर नियंत्रक कार्य शक्तियों की स्थापना द्वारा ग्रामीण विकास को सुनियोजित करना है किंतु यह व्यवस्था भी निर्वाचित प्रतिनिधियों नौकरशाही के अंतरंग संबंधों की स्थापना से मात्र संसाधनों का दोहन कर व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में ज्यादा शामिल रहा है. श्वसाधनों के विकास द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर ग्रामीण विकास के प्रति भाव प्रदर्शित किया. विकास कार्यों के लिए अपने संसाधनों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से शासकीय सहायता पर निर्भर हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को देशों के प्रतिकूल हैं. दूरदर्शिता का अभाव एवं स्वार्थी नेतृत्व के कारण ग्रामीण विकास हेतु पंचायतों के पास स्व संसाधनों के विकास और नियोजित दोहन समग्र ग्रामीण विकास हेतु स्वनिर्मित योजनाओं का अभाव अथवा इस हेतु योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन में उसकी विशेष रुचि नहीं है. यज्ञ महिलाओं हेतु पंचायतों में विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन हेतु विशेष प्रावधानों के द्वारा स्थान सुनिश्चित किए गए हैं तथा अपनी महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रश्न सर्वाधिक उपेक्षित रहा है क्योंकि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन रहे उसकी जगह उनकी भूमिका का निर्वहन उनके निकट पुरुषों द्वारा किया जाता है. पंचायत स्तर पर खंड स्तर पर एवं जिला स्तर पर विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं के मध्य समन्वय का अभाव दिखाई देता है विकास कार्यों की समीक्षा हेतु मासिक बैठक में ग्राम विकास के प्रति निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता देखी जा सकती है. इनके मध्य हितों का टकराव देखा जाता हैपंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का इस प्रकार का आचरण निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं है ऐसी स्थिति में बैठकर मातृ शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन जाती हैं. पंचायतों में निर्वाचित ग्रामीण जन प्रतिनिधियों का इस प्रकार का आचरण उनका पंचायती राज व्यवस्था के महत्व तथा उनके उद्देश्यों के प्रति उनकी अन्विता या जानबूझकर नहीं स्वार्थवश अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति उपेक्षित भाव दिखता है.

अतः पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण से उत्पन्न अनुकूल और प्रतिकूल उदाहरण यह दिशा निर्देश देते हैं कि यह किसी नवीन व्यवस्था के साथ जुड़े स्वभाविक सत्य है. प्रतिकूल परिस्थितियों में सुधार हेतु

शासकीय स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है.पंचायती व्यवस्था से सत्ता का हस्तांतरण एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो प्रयास प्रारंभ हुआ तो उसमें बाधाएं समय के साथ समाप्त होती गई.ग्राम स्तर पर स्थापित पंचायतों के क्रियाकलापों से हर ग्रामीण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिचित हो रहा है.जिससे ग्राम स्तर पर जन सामान्य की जागरूकता में वृद्धि होगी और पंचायतें ज्यादा जवाब दे होंगे.इससे इसके कार्य प्रणाली में सुधार आएगा इसी से पंचायतों के प्रति सभी वर्गों का सहयोग बढ़ेगा एवं पंचायतों के लिए स्वतंत्रकार निर्वहन की स्थिति निर्मित होंगे. पंचायतों के माध्यम से ही विकास निर्धारित मापदंडों को प्राप्त करना संभव होगा. पंचायतों ने समाज के सभी वर्गों की वृहद स्तर पर जो राजनीतिक जागरूकता दिया है वह सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों को वास्तविक रुप से प्राप्त करने में सफल सिद्ध होगी.

संदर्भ ग्रंथ

1- पंचायत संदेश, वर्ष 20 अंक 10 जनवरी 1981 पृष्ठ 1991

2- रिपोर्ट ऑफ द टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 1953 54 वॉल्यूम 3 मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन दिल्ली 1955 पृष्ठ 336.

3- रिपोर्ट और इंडियन कमीशन 1930 पृष्ठ 299-30

4 -कुमार अशोक, राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान साहित्य भवन पी एंड डी आगरा पृष्ठ 97.

5- कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास विभाग दिल्ली, अक्टूबर 1991, पृष्ठ 231

6- कुमार अशोक राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान साहित्य भवन पी एंड डी आगरा पृष्ठ 98,

7- वही पृष्ठ 99.

8- कुरुक्षेत्र, मई 1991 पृष्ठ 17,

9- कुरुक्षेत्र मई 1993 पृष्ठ 24- 25.

10- कुरुक्षेत्र मई 1993 पृष्ठ 26 -27

11- रिपोर्ट और कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूलर डेवलपमेंट जी बी के राव, निदेशक मिनिस्ट्री ऑफ रूलर डेवलपमेंट भारत सरकार नई दिल्ली 1985.

12- शर्मा, ब्रजकिशोर, भारत का संविधान एक परिचय पी एच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली.

13- वही पृष्ठ 288.

14- बसु, डॉक्टर दुर्गादास, भारत का संविधान एक परिचय प्रिंटिंग हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली.

15- मंगलाना, रूपा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी,जयपुर.

16- हार्डिया बाबूलाल, भारतीय लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा.

17- बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 ईस्टर्न बुक एजेंसी पृष्ठ 78,

18- शर्मा, ब्रजकिशोर, भारत का संविधान एक परिचय, पी एंड आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली,

19- कटारिया, डॉक्टर सुरेंद्र, भारतीय प्रशासन नेशनल पब्लिकेशंस जयपुर,

20- शर्मा, ब्रजकिशोर, भारत का संविधान एक परिचय पी एच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली.

21- वही पृष्ठ 291.

22- बिहार पंचायत राज अधिनियम 1973, ईस्टर्न बुक एजेंसी पृष्ठ 12.

23- वही पृष्ठ 13.

24- वही पृष्ठ 290.

25- वही, पृष्ठ, 288.